



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 274]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 16, 2008/वैशाख 26, 1930

No. 274]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 16, 2008/VAISAKHA 26, 1930

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2008

(भारत गणराज्य और पोलैंड गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि)

सा.का.नि. 382(अ).—जबकि भारत गणराज्य और पोलैंड गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि पर 17 फरवरी, 2003 को हस्ताक्षर हुए; और 4 अप्रैल, 2005 को वासा (पोलैंड) में अनुसमर्थन लिखतों का परस्पर विनिमय हुआ था और जिस संधि में निम्नलिखित का प्रावधान है:

भारत गणराज्य और पोलैंड गणराज्य, जिन्हें इसमें इसके बाद संविदाकारी राज्य कहा गया है,

अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए एक संधि संपन्न करके आतंकवाद सहित अपराध के दमन में दोनों राज्यों के बीच सहयोग को और प्रभावी बनाने की इच्छा से;

नीचे दिए अनुसार सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद-एक

प्रत्यर्पण का दायित्व

1. प्रत्येक संविदाकारी राज्य इस संधि में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों और शर्तों के अधीन ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जिसकी अभियोजन चलाए जाने के लिए आवश्यकता है, अथवा जो अनुच्छेद-दो में यथा विनिर्दिष्ट किसी एक प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए सिद्धदोष है जिसे अनुरोधकर्ता राज्य के क्षेत्र में किया गया है और वह अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के क्षेत्र में पाया जाता है, अन्य संविदाकारी राज्य को प्रत्यर्पित करने का वचन देता है।

2. प्रत्यर्पण अनुच्छेद-दो में यथाविनिर्दिष्ट किसी ऐसे प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए भी मंजूर किया जाएगा जो अनुरोधकर्ता राज्य के क्षेत्र से बाहर किया गया है किन्तु जिसके संबंध में अनुरोधकर्ता राज्य का क्षेत्राधिकार है, बशर्ते अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानूनों में समान परिस्थितियों में अपने क्षेत्र से बाहर किए गए ऐसे अपराध के लिए सजा देने का प्रावधान हो।

3. प्रत्यर्पण, अनुच्छेद-दो में यथाविनिर्दिष्ट किसी ऐसे प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए भी मंजूर किया जाएगा जो पूर्णतः अथवा अंशतः अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के भीतर किया गया है और जिसके ऊपर अनुरोधकर्ता राज्य का क्षेत्राधिकार है।

4. प्रत्यर्पण इस संधि के प्रावधानों के अनुसार मंजूर किया जाएगा चाहे वह अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण की मांग की गई है कभी भी किया गया हो, बशर्ते कि :

(क) अपराध के घटित होने के कृत्यों अथवा चूकों के समय दोनों संविदाकारी राज्यों के कानूनों के अंतर्गत वह एक अपराध था; और

(ख) प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध करते समय वह दोनों संविदाकारी राज्यों के कानूनों के अंतर्गत वह अपराध एक अपराध था।

अनुच्छेद-दो
प्रत्यर्पण अपराध

1. इस संधि के प्रयोजनार्थ कोई प्रत्यर्पण अपराध ऐसे कृत्य से घटित होता है जो प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत कम से कम एक वर्ष की अवधि की कैद की सजा दिए जाने योग्य हो।
2. वह अपराध भी प्रत्यर्पण माना जाएगा यदि उसमें भारत गणराज्य के कानूनों द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार पैराग्राफ (i) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध को करने का प्रयास किया गया हो, करने के लिए दुष्प्रेरित किया गया हो अथवा अपराध करने में भागीदारी की हो, पैराग्राफ (i) में विनिर्दिष्ट अपराध करने का षडयंत्र किया गया हो और पोलैंड गणराज्य के कानूनों द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार पैराग्राफ (i) में विनिर्दिष्ट अपराध को करने के लिए किसी संघ अथवा संगठित दल में भाग लेना, भी प्रत्यर्पणीय अपराध होगा।
3. कोई भी अपराध प्रत्यर्पणीय अपराध होगा इस बात के रहते हुए भी कि चाहे वह अपराध कराधान अथवा राजस्व से संबंध रखता हो अथवा चाहे वह नितांत रूप से वित्तीय स्वरूप का हो। जहां प्रत्यर्पण की अपेक्षा कराधान, सीमा शुल्क, विदेशी मुद्रा अथवा अन्य राजस्व मामले से संबंधित कानून के विरुद्ध किसी अपराध के लिए की गई हो वहां प्रत्यर्पण से केवल इस आधार पर इंकार नहीं किया जा सकता कि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का कानून अनुरोधकर्ता राज्य के कानून के अनुरूप वहां पर कर अथवा शुल्क नहीं लगाया जाता अथवा वहां उसी प्रकार का कर, शुल्क, सीमा-शुल्क अथवा विदेशी मुद्रा विनियमन लागू नहीं होता।

अनुच्छेद-तीन
प्रयुक्ति

यह संधि इसके प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व तथा उसके बाद किए गए अपराधों पर लागू होगी।

अनुच्छेद-चार
प्रत्यर्पण से इंकार करने के आधार

1. ऐसे किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा, यदि :
 - (क) वह अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का नागरिक है ;
 - (ख) अनुरोधकर्ता अथवा अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानूनों के अंतर्गत वह वांछित व्यक्ति, समय बीत जाने के कारण अभियोजन अथवा दण्ड के निष्पादन से मुक्त हो गया हो;
 - (ग) अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य की विधि के अंतर्गत प्रत्यर्पण अग्राह्य है; अथवा
 - (घ) वह अपराध, जिसके लिए उस पर मुकदमा चलाने के लिए उसका प्रत्यर्पण मांगा गया है अथवा जिसके लिए वह सिद्ध दोष है, सैन्य अपराध है जो कि साधारण आपराधिक विधि के अंतर्गत कोई अपराध नहीं है।

2. ऐसे व्यक्ति का भी प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा यदि जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है उसके लिए अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में उसके विरुद्ध पहले से ही कार्यवाही कर दी गई और वह दोष सिद्ध हो गया है अथवा उसे अंतिम रूप से छोड़ दिया गया है।

3. जब अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को यह लगे कि प्रत्यर्पण मानवीयता के आधार पर विशेष रूप से प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य अथवा उसकी वृद्धावस्था के कारण, नहीं किया जा सकता है, संविदाकारी राज्य परस्पर परामर्श करके यह निर्धारित करेंगे कि क्या प्रत्यर्पण का अनुरोध कायम रहे अथवा नहीं।

अनुच्छेद-पांच राजनैतिक अपराध

1. प्रत्यर्पण से इंकार किया जा सकता है, यदि वह अपराध जिसके लिए अनुरोध किया गया है, राजनैतिक स्वरूप का हो।

2. इस संधि के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अपराधों को राजनैतिक स्वरूप का अपराध नहीं माना जाएगा:-

- (क) किसी भी संविदाकारी राज्य के राज्याध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष अथवा उनके परिवार के सदस्यों की हत्या अथवा उनके विरुद्ध कोई अन्य अपराध ;
- (ख) ऐसा अपराध जिसके लिए दोनों संविदाकारी राज्य किसी बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय करार के अंतर्गत प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति के प्रत्यर्पण अथवा उसके मामले को अपने सक्षम प्राधिकारियों को मुकदमा चलाने के बारे में निर्णय लेने के लिए सौंपने को बाध्य हों।
- (ग) हत्या, मानव वध, दुर्भावनापूर्वक घायल करना, अथवा शारीरिक क्षति पहुंचाने वाला अथवा गंभीररूप से शारीरिक क्षति पहुंचाना;
- (घ) ऐसा अपराध जिसमें अपहरण, अपगमन अथवा अपहरण सहित किसी भी प्रकार से अवैधानिक तरीके से रोकना शामिल हो,
- (ङ.) ऐसे विस्फोटक पदार्थ लगाना अथवा उनका प्रयोग करना जो दाहक हो अथवा जीवन को खतरे में डालने वाला हो, व्यापक शारीरिक चोट पहुंचाने वाला हो अथवा संपत्ति का व्यापक विनाशकारक हो; और
- (च) ऊपर बताए गए किसी अपराध को करने का प्रयास करना अथवा उस अपराध में भाग लेना और जैसा कि भारत गणराज्य की विधि द्वारा उपबंधित है, ऐसे अपराधों को करने के लिए षडयंत्र करना तथा पोलैंड गणराज्य की विधि द्वारा उपबंधित ऐसे अपराधों को करने के लिए किसी संघ अथवा संगठित दल में भाग लेना।

अनुच्छेद-छह**प्रत्यर्पण से इंकार करने का परिणाम**

1. यदि अनुच्छेद-चार के पैरा 1 उप-पैरा(क) के अंतर्गत प्रत्यर्पण के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अपनी विधि के अनुसार आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए इस मामले को अपने सक्षम प्राधिकारियों के पास भेज देगा । इस प्रयोजन के लिए अनुरोधकर्ता राज्य संगत दस्तावेज एवं साक्ष्य अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को अंतरित करेगा ।
2. यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य की विधि के अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही को शुरू करने का उपबंध नहीं निकाला गया हो, तो पैराग्राफ 1 के प्रावधान उन अन्य मामलों पर भी लागू होंगे जिनमें प्रत्यर्पण के अनुरोध को मानने से इंकार किया गया है ।
3. यदि क्षेत्राधिकार के आधार पर प्रत्यर्पण से मना किया जाता है तथा संबंधित जांच अभिकर अभिकरणों के निर्णय के अनुसार अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में मुकदमा चला पाना व्यवहार्य नहीं हो, प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध को पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है ।

अनुच्छेद-सात**प्रत्यर्पण का स्थगन तथा अस्थायी प्रत्यर्पण**

1. यदि प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति पर अभियोजन चलाया जा रहा है, अथवा वह किसी अन्य अपराध के लिए, अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के क्षेत्र में सजा काट रहा हो, तो मामले की आपराधिक कार्यवाहियां समाप्त होने अथवा सजा पूरी होने तक के लिए प्रत्यर्पण स्थगित किया जा सकता है, इस प्रकार की सलाह अनुरोधकर्ता राज्य को दी जाएगी ।
2. यदि प्रत्यर्पण के स्थगन से निर्धारित अवधि समाप्त होती है जांच में बाधा पहुंचती है, तो अनुरोधकर्ता राज्य के एक विशेष अनुरोध पर उस व्यक्ति को अस्थायी तौर पर प्रत्यर्पण किया जा सकता है ।
3. अस्थायी तौर पर प्रत्यर्पित व्यक्ति को मामले की कार्यवाही समाप्त होने के तत्काल पश्चात अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को वापस भेज देना चाहिए ।

अनुच्छेद-आठ**प्रत्यर्पण क्रियाविधियां**

1. प्रत्यर्पण का अनुरोध राजनयिक माध्यमों के जरिए किया जाएगा ।
2. अनुरोध के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगे:
 - (क) उस व्यक्ति का नाम तथा उपनाम जिसके प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किया गया है, उसकी नागरिकता, निवास स्थान अथवा पता ठिकाने के संबंध में सूचना और अन्य संगत डाटा के साथ-साथ यदि संभव हो, तो व्यक्ति का रंग-रूप उसकी फोटोग्राफ तथा उंगलियों के निशान ;

- (ख) उस अपराध के तथ्यों का विवरण, जिसके लिए प्रत्यर्पण की मांग की गई है; और
- (ग) विधियों का पाठ:
- (i) जिसमें अपराध की परिभाषा दी गई हो, और
- (ii) उस अपराध के लिए सजा निर्धारित की गई हो।

3. ऊपर बतायी गई सूचना के अतिरिक्त मुकदमे के लिए प्रत्यर्पण हेतु अनुरोध के साथ अनुरोधकर्ता राज्य के सक्षम न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट मूल रूप में अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि और यदि अपराध अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में किया गया हो तो उस व्यक्ति के मुकदमे के लिए गिरफ्तारी को उचित ठहराने से संबंधित ऐसी सूचना अथवा विवरण संलग्न होना चाहिए।

4. यदि अनुरोध ऐसे व्यक्ति के संबंध में है जिसे सिद्ध दोष ठहराया गया हो तथा सजा दे दी गई हो, तो इसके साथ निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि और इस तथ्य को स्पष्ट करने वाला एक विवरण कि निर्णय अंतिम और प्रवर्तनीय है एवं उसे अभी कितनी सजा और काटनी है।

5. यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य यह समझता है कि इस संधि के प्रयोजनार्थ पेश की गई सामग्री अथवा दी गई सूचना अनुरोध के अनुसार निर्णय लेने के उद्देश्य से पर्याप्त नहीं है, तो वह उचित समय-सीमा के भीतर आवश्यक अनुपूरक सामग्री अथवा सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध करेगा।

अनुच्छेद-नौ अनन्तिम गिरफ्तारी

1. तात्कालिक मामलों में अनुरोधकर्ता राज्य की विधियों के अनुसार अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारियों के अनुरोध पर वह व्यक्ति जिसकी मांग की गई है, को अनन्तिम रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है। उस आवेदन में उक्त व्यक्ति के प्रत्यर्पण के अनुरोध का आशय तथा गिरफ्तारी वारंट की मौजूदगी का विवरण अथवा उसके विरुद्ध सिद्ध दोष, ऐसी सूचना जो उसकी पहचान के लिए आवश्यक हो सकती है, और ऐसी अन्य सूचना जो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के लिए आवश्यक होगी। अनुरोध में इस बात का भी जिक्र होगा कि किस अपराध के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जाएगा।

2. किसी व्यक्ति को इस प्रकार के आवेदन के अनुसार गिरफ्तार किये जाने पर गिरफ्तारी की तारीख से 60 दिन की समय-सीमा समाप्त होने के भीतर प्रत्यर्पण का अनुरोध प्राप्त न होने पर उसे छोड़ दिया जाएगा। यदि ऐसा अनुरोध इसके बाद प्राप्त होता है, तो जिस व्यक्ति की मांग की गई है उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए यह प्रावधान और आगे मुकदमा चलाने से नहीं रोकेगा।

अनुच्छेद-दस
विशिष्टता का नियम

1. इस संधि के तहत प्रत्यर्पित व्यक्ति को अनुरोधकर्ता राज्य में निम्नलिखित अपराधों के सिवाय नजरबंद नहीं किया जा सकता है, मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, सजा अथवा दंड नहीं दिया जा सकता है :

- (क) वह अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी गई है अथवा एक अलग तरह का प्रमुख अपराध जो उन्हीं तथ्यों पर आधारित हो जिन पर प्रत्यर्पण मंजूर किया गया था बशर्ते कि ऐसा अपराध एक प्रत्यर्पणीय अपराध हो अथवा ऐसे अपराध का निम्न कोटि का अपराध हो;
- (ख) ऐसा अपराध व्यक्ति के प्रत्यर्पण के बाद किया गया हो; अथवा
- (ग) ऐसा अपराध जिसके लिए अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी ने उस व्यक्ति की नजरबंदी, मुकदमा चलाने, सजा देने अथवा दण्ड देने की सहमति दे दी हो ।

इस उप-पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ:

- (i) अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को अनुच्छेद-आठ में उल्लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने अपेक्षित हैं ; तथा
- (ii) जब तक अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य लिखित रूप में आपत्ति नहीं करता है, तब तक प्रत्यर्पित व्यक्ति को अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा 90 दिन अथवा उतनी अवधि तक जब तक अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य प्राधिकृत करता है, नजरबंद रखा जा सकता है जबकि अनुरोध पर कार्रवाई की जा रही हो ।

2. इस संधि के अंतर्गत प्रत्यर्पित व्यक्ति को समर्पण करने से पूर्व किए गए अपराध के लिए तब तक किसी तीसरे राज्य को प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता है जब तक समर्पण करने वाले राज्य की सहमति नहीं होती है ।

3. इस अनुच्छेद का पैराग्राफ 1 और 2 प्रत्यर्पित व्यक्ति को नजरबंद करने, मुकदमा चलाने, सजा अथवा दण्ड देने अथवा उक्त व्यक्ति को तीसरे राज्य को प्रत्यर्पण करने से नहीं रोकेगा, यदि:

- (क) वह व्यक्ति प्रत्यर्पण के पश्चात अनुरोधकर्ता राज्य के प्रदेश को छोड़ देता है तथा स्वेच्छा से वापस लौट आता है ;
- (ख) वह व्यक्ति जिस दिन से राज्य छोड़ने के लिए स्वतंत्र किया जाता है उस दिन से 30 दिन के भीतर अनुरोधकर्ता राज्य के प्रदेश को नहीं छोड़ता ह ।

अनुच्छेद-ग्यारह दस्तावेजों की ग्राह्यता

वे दस्तावेज जो प्रत्यर्पण अनुरोध के साथ प्राप्त होंगे और यदि वे प्रत्यर्पण कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं ;

- (क) भारत गणराज्य के किसी अनुरोध के मामले में, वे भारत गणराज्य आस्थानिक पोलैण्ड गणराज्य के सक्षम राजनयिक अथवा कोंसली प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित हैं;
- (ख) पोलैण्ड गणराज्य के किसी अनुरोध के मामले में, वे पोलैण्ड गणराज्य आस्थानिक भारत गणराज्य के प्रधान राजनयिक अथवा कोंसली अधिकारी द्वारा प्रमाणित हैं; अथवा
- (ग) ये दस्तावेज अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य की विधियों द्वारा किसी अन्य स्वीकृत रीति से प्रमाणित या सत्यापित हैं ।

अनुच्छेद-बारह परस्पर विरोधी अनुरोध

यदि एक ही व्यक्ति का उसी अपराध अथवा भिन्न अपराधों के लिए किसी संविदाकारी राज्य और किसी तीसरे राज्य द्वारा प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है, तो अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य उस व्यक्ति के बारे में यह तय करेगा कि उसे किस राज्य को प्रत्यर्पित किया जाए । अपना निर्णय करते हुए, अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अनुरोधकर्ता राज्यों के साथ प्रत्यर्पण संधि की विद्यमानता या अभाव, अपराध करने का स्थान, अपराधों की गंभीरता, अपराधी की राष्ट्रीयता और प्राप्त अनुरोधों के कालक्रम संबंधी घटकों का ध्यान रखेगा ।

अनुच्छेद-तेरह मृत्यु दण्ड

यदि अनुरोधकर्ता राज्य की विधियों के अंतर्गत वांछित व्यक्ति उस अपराध के लिए जिसके संबंध में उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है, मृत्यु दण्ड का पात्र है, किन्तु अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य की विधि में इसी प्रकार के किसी मामले में मृत्यु दण्ड की व्यवस्था नहीं है, प्रत्यर्पण से इंकार किया जा सकता है, बशर्ते अनुरोधकर्ता राज्य इस प्रकार के आश्वासन देता है जिन्हें अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य इस बात के लिए पर्याप्त मानता है कि मृत्यु दण्ड नहीं दिया जाएगा ।

अनुच्छेद-चौदह हस्तांतरण

1. समय और स्थान सहित प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति के हस्तांतरण के तौर-तरीकों पर दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सहमति होगी ।

2. अनुरोधकर्ता राज्य वांछित व्यक्ति की अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के प्रदेश से प्रत्यर्पण निर्णय की सूचना प्राप्त होने से तीस दिन के अंतर्गत अनुरोधकर्ता राज्य सुपुर्दगी लेगा। यदि उसे इस अवधि के भीतर नहीं ले जाया जाता है, तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य उसी अपराध के लिए उसके प्रत्यर्पण से इंकार कर सकता है।

3. यदि किसी संविदाकारी राज्य को उसके नियंत्रण से इतर परिस्थितियां प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति के समय पर समर्पण अथवा सुपुर्दगी लेने में बाधा उत्पन्न करती हैं, तो वह समय सीमा समाप्त होने से पूर्व अन्य संविदाकारी राज्य को सूचित करेगा। इस प्रकार के किसी मामले में संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी समर्पण तथा सुपुर्दगी लेने संबंधी किसी नई तिथि पर सहमत होंगे।

अनुच्छेद-पन्द्रह संपत्ति की कुर्की और समर्पण

1. अपनी विधियों के अंतर्गत अनुमत सीमा तक, अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य सभी वस्तुओं, दस्तावेजों और अपराध से संबद्ध साक्ष्य को जिसके संबंध में प्रत्यर्पण की अनुमति दी गई है, जब्त करके अनुरोधकर्ता राज्य को सौंप सकता है। इस अनुच्छेद में उल्लिखित वस्तुएं, अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य की विधि के अंतर्गत अनुमत सीमा तक, वांछित व्यक्ति की मृत्यु, गायब होने अथवा भाग जाने के कारण प्रत्यर्पण प्रभावित नहीं हो सकने के बावजूद भी सौंपी जाएगी।

2. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य संपत्ति के सौंपे जाने पर यह शर्त लगा सकता है कि अनुरोधकर्ता राज्य इस बात का संतोषजनक आश्वासन दे कि यह संपत्ति अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को ज्योंही व्यवहार्य होगा वापस कर दी जाएगी। अनुरोधकर्ता राज्य इस प्रकार की संपत्ति को विलंबित भी कर सकता है यदि अनुरोधकर्ता राज्य में वह साक्ष्य के रूप में अपेक्षित हो।

3. इस प्रकार की संपत्ति पर तृतीय पक्षकारों के अधिकारों का समुचित सम्मान किया जाएगा।

अनुच्छेद-सोलह प्रत्यर्पण में परस्पर विधिक सहायता

प्रत्येक संविदाकारी राज्य दूसरे संविदाकारी राज्य को, अपनी विधियों की अनुमत सीमा तक, उस अपराध के संबंध में, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, आपराधिक मामलों में परस्पर सहायता के व्यापक उपाय प्रदान करेगा।

अनुच्छेद-सत्रह प्रत्यर्पण व्यय

अनुरोधकर्ता राज्य दस्तावेजों के अनुवाद और अम्यर्पित व्यक्ति के लाने और ले जाने से संबंधित व्यय वहन करेगा। अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य प्रत्यर्पण कार्यवाहियों के कारण उस राज्य में किए गए अन्य सभी व्यय का भुगतान करेगा।

अनुच्छेद- अट्ठारह
भाषाएं

मौजूदा संधि को संपन्न करते समय, संविदाकारी राज्य अपनी राष्ट्रीय भाषा का उपयोग करेंगे और साथ में दूसरे राज्य की राष्ट्रीय भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा का अनुवाद भी संलग्न करेंगे।

अनुच्छेद-उन्नीस
अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अधीन बाध्यताएं

मौजूदा संधि संविदाकारी राज्यों के, उन अंतर्राष्ट्रीय संधियों से उत्पन्न होने वाले अधिकारों और बाध्यताओं को प्रभावित नहीं करेगी जिसके संविदाकारी राज्य पक्षकार हैं।

अनुच्छेद-बीस
अनुसमर्थन और समापन

1. यह संधि अनुसमर्थन के अध्यधीन होगी और अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान यथाशीघ्र किया जाएगा। यह अनुसमर्थन दस्तोवजों के आदान प्रदान की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. संविदाकारी राज्यों में से कोई भी एक राज्य दूसरे राज्य को राजनयिक माध्यम से सूचना देकर किसी भी समय इस संधि को समाप्त कर सकता है; और यदि ऐसा नोटिस दिया जाता है, तो ऐसे मामले में नोटिस प्राप्त होने के छह माह के बाद यह संधि समाप्त हो जाएगी।

जिनके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने अपनी-अपनी सरकारों के द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत होकर इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।

आज, दिल्ली .. में, फरवरी (2003) माह के... 17 ... वें दिन हिन्दी, पोलिश और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो पाठों में संपन्न। सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। इस संधि की व्याख्या में किसी प्रकार की भिन्नता होने की दशा में अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा।

अतः अब प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पोलैंड गणराज्य के संबंध में प्रत्यर्पण संधि से संबंधित भारत सरकार की अधिसूचना, यदि कोई विद्यमान है, या लागू व्यवस्था का अतिक्रमण करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के अध्याय- III के अतिरिक्त अन्य सभी प्रावधान इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पोलैंड गणराज्य के संबंध में लागू होंगे।

[फा. सं. टी. 413/81/96-97]

पी. एम. मीणा, संयुक्त सचिव (कॉंसुलर)

181548/08-2

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2008

(Extradition Treaty between The Republic of India and The Republic of Poland)

G.S.R. 382(E).— Whereas the Extradition Treaty between the Republic of India and the Republic of Poland was signed at New Delhi, on 17th February, 2003; and the instruments of ratification were exchanged at Warsaw (Poland) on 4th April, 2005, and which treaty provides as follows :

The Republic of India and the Republic of Poland

hereinafter referred to as Contracting States

Desiring to make more effective the cooperation between the two States in the suppression of crime, including terrorism, by concluding a treaty for the extradition of offenders,

Have agreed as follows :

ARTICLE 1

Obligation to extradite

1. Each Contracting State undertakes to extradite to the other Contracting State, in the circumstances and subject to the conditions specified in this Treaty, any person who is wanted prosecution for, or is convicted of an extraditable offence, as specified in Article 2, committed within the territory of the Requesting State, and is found within the territory of the Requested State.
2. Extradition shall also be granted in respect of an extraditable offence, as specified in Article 2, committed outside the territory of the Requesting State but in respect of which the requesting State has jurisdiction, if the laws of the Requested State provide for the punishment for such an offence committed outside its territory in similar circumstances.
3. Extradition may also be granted in respect of an extraditable Offence, as specified in Article 2, committed wholly or partly in the territory of the Requested State, over which the Requesting State has jurisdiction.

4. Extradition shall be granted in accordance with the provisions of this Treaty, irrespective of when the offence in relation to which extradition is sought was committed, provided that:
- a) it was an offence under the laws of both the Contracting States at the time of the acts or omissions constituting the offence; and
 - b) it was an offence under the laws of both the Contracting States at the time the request for extradition was made.

ARTICLE 2

Extradition Offences

1. An extradition offence for the purposes of this Treaty is constituted by act which under the laws of each Contracting State is punishable by a term of imprisonment for a period of at least one year.
2. An offence shall also be an extradition offence if it consists of an attempt to commit, abetment or participation in the commission of an offence specified in paragraph 1. Conspiracy to commit an offence specified in paragraph 1, as provided by the laws of the Republic of India and participation in an association or an organized group to commit offences specified in paragraph 1, as provided by the laws of the Republic of Poland, shall also be extradition offences.
3. An offence shall be an extradition offence notwithstanding that it relates to taxation or revenue or is one of a purely fiscal character. Where extradition is sought for an offence against laws relating to taxation, customs duties, foreign exchange or other revenue matter, extradition may not be refused only on the ground that the laws of the Requested State do not impose the same kind of tax or duty or do not contain a tax, duty, customs, or exchange regulation of the same kind as the laws of the Requesting State.

ARTICLE 3**Application**

This Treaty shall apply to offences committed before as well as after the date it enters into force.

ARTICLE 4**Grounds for Refusal of Extradition**

1. A person shall not be extradited if:
 - a) he is a citizen of the Requested State;
 - b) the person claimed has, according to the laws of either the Requesting or the Requested State, become immune, by reason of lapse of time, from prosecution or the execution of punishment ;
 - c) extradition is inadmissible under the laws of the Requested State; or
 - (d) the offence in respect of which he is wanted for prosecution or is convicted is a military offence which is not an offence under ordinary criminal law.
2. A person shall also not be extradited if in respect of the offence for which his extradition is requested, he has been previously proceeded against in the Requested State and convicted or acquitted with final effect.
3. Where it appears to the Requested State that extradition would be totally incompatible with humanitarian considerations, in particular the state of health or old age of the person sought, the Contracting States shall consult to mutually determine whether the extradition request should continue.

ARTICLE 5

Political Offences

1. Extradition shall not be granted if the offence for which extradition is requested is an offence of a political character.
2. For the purposes of this Treaty, the following offences shall not be considered to be of a political character:
 - a) murder or any other offence against the person of the Head of State, the Head of Government of either of the Contracting States or members of their families;
 - b) an offence for which both Contracting States have the obligation pursuant to a multilateral international agreement to extradite the person sought or to submit the case to their competent authorities for decision as to prosecution;
 - c) murder, manslaughter, malicious wounding, or inflicting grievous bodily harm or other grievous injury to health;
 - d) an offence involving kidnapping, abduction or any form of unlawful detention, including the taking of a hostage;
 - e) placing or using an explosive, incendiary or destructive device capable of endangering life, of causing substantial bodily harm or of causing substantial property damage; and
 - (f) an attempt to commit, or participation in the commission of any of the foregoing offences as well as conspiracy to commit these offences, as provided by the laws of the Republic of India and participation in an association or an organized group to commit these offences, as provided by the laws of the Republic of Poland.

ARTICLE 6

Consequences of Refusal of Extradition

1. If an extradition request is refused under paragraph 1 subparagraph (a) of Article 4, the Requested State shall transmit the case to its competent authorities in order to initiate criminal proceedings in accordance with the laws of the Requested State. For this the Requesting State shall transfer to the Requested State the relevant documents and evidence.
2. The provision of paragraph 1 shall apply in other cases also where a request for extradition is refused, if the initiation of criminal proceeding is not excluded under the laws of the Requested State.
3. In case the extradition is refused on the ground of existence of jurisdiction (Article 1 paragraph 3) and according to the decision of the investigating authority the trial is not found feasible in the Requested State, the request for extradition may be resubmitted.

ARTICLE 7

Postponement of Extradition and Temporary Extradition

1. If the person to be extradited is being prosecuted or serving sentence for another crime in the territory of the Requested State, the extradition may be postponed till the end of the criminal proceedings of the case, or completion of sentence, which shall be advised to the Requesting State.
2. If the postponement of extradition can result in immunity by the reason of lapse of time or impede the investigation, the person can be extradited temporarily under a special request of the Requesting State.
3. The temporarily extradited person must be returned to the Requested State immediately after the end of the proceedings of the case.

ARTICLE 8**Extradition Procedures**

1. The request for extradition shall be made through diplomatic channels.
2. The request shall be accompanied by :
 - a) the name and surname of the person whose extradition is requested, information on his citizenship, place of residence or whereabouts and other pertaining data, as well as, if possible, the description of the person's appearance, his photographs and fingerprints;
 - b) a statement of the facts of the offence for which extradition is requested; and
 - c) the text of the laws:
 - (i) defining the offence and
 - (ii) prescribing punishment for that offence.
3. The request for extradition for the prosecution, besides the information specified above, must be accompanied by the original or a certified copy of the warrant of arrest issued by a competent court of the Requesting State and such information or statements as would justify the committal for trial of the person had the offence been committed in the Requested State.
4. If the request relates to a person already convicted and sentenced, it shall also be accompanied by a certified copy of the judgement and a statement that the judgement is final and enforceable and showing how much of sentence still remains to be undergone.
5. If the Requested State considers that the material or information supplied for the purposes of this Treaty is not sufficient in order to enable a decision to be taken as to the request, it shall request the necessary supplementary material or information and may fix a reasonable time limit for the receipt thereof.

ARTICLE 9

Provisional arrest

1. In urgent cases the person sought may, in accordance with the laws of the Requested State, be provisionally arrested on the application of the competent authorities of the Requesting State. The application shall contain an indication of intention to request the extradition of that person and a statement of existence of a warrant of arrest or a conviction against him, such information as may be necessary to identify him and such other information as would be necessary for the issue of a warrant of arrest in the Requested State. The application shall also state for what offence extradition will be requested.
2. A person arrested upon such an application shall be set at liberty upon the expiration of 60 days from the date of his arrest if a request for his extradition shall not have been received. This provision shall not prevent institution of further proceedings for the extradition of the person sought if a request is subsequently received.

ARTICLE 10

Rule of Speciality

1. A person extradited under this Treaty may not be detained, prosecuted, sentenced or punished in the Requesting State for offences except for:
 - a) an offence for which extradition has been granted or a differently denominated offence based on the same facts on which extradition was granted, provided such an offence is extraditable or is a lesser form of such offence;
 - b) an offence committed after the extradition of the person; or

- c) an offence for which the competent authority of the Requested State has consented to the person's detention, prosecution, sentencing, or punishment.

For the purpose of this subparagraph:

- (i) the Requested State may require the submission of the documents specified in Article 8; and
- (ii) unless the Requested State objects in writing, the person extradited may be detained by the Requesting State for 90 days, or for such longer period of time as the Requested State may authorise, while the request is being processed.
2. A person extradited under this Treaty may not be extradited to a third State for an offence committed prior to the surrender unless the surrendering State consents.
3. Paragraph 1 and 2 of this Article shall not prevent the detention, prosecution, sentencing or punishment of an extradited person, or the extradition of that person to a third State if:
- a) that person leaves the territory of the Requesting State after extradition and voluntarily returns to it; or
- b) that person does not leave the territory of the Requesting State within 30 days of the day on which that person is free to leave.

ARTICLE 11

Admissibility of Documents

The documents which accompany an extradition request shall be received and admitted as evidence in extradition proceedings if:

- a) in the case of a request from the Republic of India, they are certified by the proper diplomatic or consular representative of the Republic of Poland in the Republic of India;

- b) in the case of a request from the Republic of Poland, they are certified by the principal diplomatic or consular officer of the Republic of India resident in the Republic of Poland; or
- c) they are certified or authenticated in any other manner accepted by the laws of the Requested State.

ARTICLE 12

Competing Requests

If extradition of the same person whether for the same offence or for different offences is requested by a Contracting State and a third State, the Requested State shall determine the State to which the person shall be extradited. In making its decision, the Requested State shall take into consideration factors including: existence or non-existence of extradition treaty with the states requesting extradition, place of the commission of offences, gravity of offences, nationality of the offender and chronological order of the requests received.

ARTICLE 13

Death Sentence

If under the laws of the Requesting State the person sought is liable to the death penalty for the offence for which his extradition is requested, but the law of the Requested State does not provide for death penalty in a similar case, extradition may be refused, unless the Requesting State gives such assurances as the Requested State considers sufficient that the death sentence will not be carried out.

ARTICLE 14**Transfer**

1. The modalities of transfer of the person to be extradited, including the time and the place, shall be agreed upon by the competent authorities of both the Contracting States.
2. The Requesting State shall take delivery of the person sought from the territory of the Requested State within 30 days of the date on which the Requesting State was notified of the extradition decision. If he is not removed within that period, the Requested State may refuse to extradite him for the same offence.
3. If circumstances beyond its control prevent a Contracting State from timely surrendering or taking delivery of the person to be extradited, it shall notify the other Contracting State before the expiration of the time limit. In such a case the competent authorities of the Contracting States may agree upon a new date for the surrender and for taking delivery.

ARTICLE 15**Seizure and Surrender of Property**

1. To the extent permitted under its laws, the Requested State may seize and surrender to the Requesting State all articles, documents and evidence connected with the offence in respect of which extradition is granted. The items mentioned in this Article may be surrendered, to the extent permitted under the laws of the Requested State, even when extradition cannot be effected due to the death, disappearance, or escape of the person sought.
2. The Requested State may condition the surrender of the property upon satisfactory assurances from the Requesting State that the property will be returned to the Requested State as soon as practicable. The Requested State may also defer the surrender of such property if it is needed as evidence in the Requested State.
3. The rights of third parties in such property shall be duly respected.

ARTICLE 16

Mutual Legal Assistance in Extradition

Each Contracting State shall, to the extent permitted by its laws, afford the other Contracting State the widest measure of mutual assistance in criminal matters in connection with the offence for which extradition has been requested.

ARTICLE 17

Extradition expenses

The Requesting State shall bear the expenses related to the translation of documents and the transportation of the person surrendered. The Requested State shall pay all other expenses incurred in that State by reason of the extradition proceedings.

ARTICLE 18

Languages

While complying with the present Treaty, the Contracting States shall use their national language attaching the translation in the national language of the other Contracting State or in the English language.

ARTICLE 19

Obligations under International Treaties

The present Treaty shall not affect the rights and obligations of the Contracting States arising from other international Treaties to which the Contracting States are parties.

ARTICLE 20**Ratification and Termination**

1. **This Treaty shall be subject to ratification and the instruments of ratification shall be exchanged New Delhi or Warsaw. It shall enter into force on the date of exchange of instruments of ratification.**
2. **Either of the Contracting States may terminate this Treaty at any time by giving notice to the other through the diplomatic channel; in such a case, the Treaty shall cease to have effect six months after receipt of the notice.**

In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Treaty.

Done at New Delhi this day of 17 February 2003 in duplicate in Hindi, Polish and English languages, all texts being equally authentic. In case of any interpretational difference the English text shall prevail.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), and in suppression of notification of Government of India, if any existing, relating to an extradition treaty or arrangement applicable in respect of the Republic of Poland, the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than Chapter III, shall apply to the Republic of Poland with effect from the date of the publication of this notification.

[F. No. T. 413/81/96-97]

P. M. MEENA, Jt. Secy. (Consular)